

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सहायक अधिकारी :- कमर चौधरी  
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 91/2023

आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16 वीं, प्लॉट नं0 बी-23, थाणे इन्डस्ट्रीयल एरिया वागले एस्टेट, थाणे- 400604 मुम्बई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय: 4 जी फलोर, विनायक हाईटस, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राज0 302021 जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र पाराशर।



...प्रार्थी कंपनी/सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री रामस्वरूप पुत्र गब्दयाराम निवासी ढिगारिया भीम दौसा राजस्थान नियर बाय गर्वनमेंट स्कूल दौसा राजस्थान पिन कोड-303315 अन्य पता- पट्टा नंबर 85, ढिगारिया भीम दौसा राजस्थान नियर गर्वनमेंट स्कूल दौसा राजस्थान पिन कोड- 303315

(ऋणी)

2. श्रीमती चमेली देवी निवासी खुमार पट्टा नंबर 85, ढिगारिया भीम दौसा राजस्थान नियर बाय गर्वनमेंट स्कूल दौसा राजस्थान पिन कोड- 303315 अन्य पता- ढिगारिया भीम दौसा राजस्थान नियर गर्वनमेंट स्कूल दौसा राजस्थान पिन कोड- 303315

(सह ऋणी)

3. श्री राधेश्याम प्रजापत निवासी पट्टा नंबर 85, ढिगारिया भीम दौसा राजस्थान दौसा दौसा राजस्थान पिन कोड- 303315 अन्य पता- ढिगारिया भीम दौसा राजस्थान नियर बाय गर्वनमेंट स्कूल दौसा राजस्थान पिन कोड- 303315

(सह ऋणी)

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुदगी बाबत।

उपस्थित : श्रीमती सुनैना शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 23.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 7,37,253/- (रूपये सात लाख सैतीस हजार दो सौ तिरेपन मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आई.आई.एफ.एल.होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति के समस्त अंश व खंड पट्टा नं० 85, भूमि एरिया 2259 वर्गफीट कारपेट एरिया 1036 वर्गफीट सुपर बिल्ट अप एरिया 1296 वर्गफीट ग्राम ढिगारिया भीम बांदीकुई जिला दौसा राज० में स्थित है जो कि श्री रामस्वरूप पुत्र गब्दया राम प्रजापत के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लिमिटेड को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमर चौधरी)  
जिला कलेक्टर, दौसा